कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल
***WEBSITE* : www.mpbse.nic.in & *E-mail id* : mpbse@mp.nic.in**

क्रमांक/325/ संबंद्धता/2025 भोपाल, दिनाँक 01 /07/2025

प्रति

आयुक्त
लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश भोपाल

विषयः– विभागीयं मान्यता/अनुमति प्राप्त संस्थाओ से सम्बद्धता शुल्क जमा करने की तिथि के संबंध में।

---//---

मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल का आदेश क्रमांक एफ 37–2/2015/20-3 भोपाल दिनांक 31.03.2017 द्वारा मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965 (कमाक 23 सन 1965) की धारा 27 के अन्तर्गत अशासकीय हाईस्कूलों एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों को विभागीय मान्यता/अनुमति एव उनके नवीन मान्यता /नवीनीकरण मान्यतर के लिए जिला शिक्षा अधिकारी/संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण को अधिकृत किया गया है।

मण्डल के पत्र क्रमांक 81/मान्यता समन्वय/2014 दिनांक 18.06.2014 की कंडिका 2.1 के अनुसार शासकीय/अशासकीय संस्थाऐं जिनको संबंधित संभागीय संयुक्त संचालको लोक शिक्षण/जिला शिक्षा अधिकारियो द्वारा वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 हेतु नवीन मान्यता/ मान्यता नवीनीकरण/ अतिरिक्त संकाय की मान्यता प्रदाय की गई है। ऐसी संस्थाओ को ऑनलाइन सम्बद्धता शुल्क जमा करन हेतु दिनाँक 10.08.2025 तक का समय प्रदाय किया जाता है।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृष्ठा.क्र. 326 / संबंद्धता /2025 भोपाल दिनाँक 01 /07/2025

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल।
2. निज सचिव, अध्यक्ष/सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. चीफ सिस्टम ऑफिसर, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. जनसंपर्क अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. संचालक, एम.पी. ऑनलाईन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. आंचलिक/संभागीय अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण/जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश, भोपाल